मानक प्रचालन कार्यविधि

सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
- 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
- 3.2 जोखिम आकलन/निरीक्षण
- 3.3 संसाधन मानचित्रण
- 3.4 संसाधनों का रख-रखाव
- 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन
- 5.1 चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता
- 5.2 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
- 6.1 प्रथम चरण
- 6.2 द्वितीय चरण

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

8. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

नेपाल व चीन राष्ट्र की सीमाओं से लगा होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन के साथ–साथ धार्मिक दृश्टि से भी काफी महत्व रखता है। विकास के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन व भूकम्प जैसी आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील यह राज्य विगत दो–तीन दशकों से आपदाओं की तीव्रता एवं बारम्बारता को झेल रहा है। राज्य में नदियों एवं तटबन्धों के रख–रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। इस कारण आपदा प्रबन्धन में सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग द्वारा वर्ष भर किये जाने वाले कार्य आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपदा के दौरान और आपदा के बाद भी विभाग की उल्लेखनीय भूमिका होती है। आपदा के प्रत्येक चरणों में व्यवस्थित ढंग से काम किये जाने हेतु विभाग के राज्य स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा जनपद से लेकर प्रक्षेत्र स्तर तक जारी किये गये दिशा–निर्देशों को व्यवस्थित क्रम में रखते हुए मानक प्रचालन कार्यविधि (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है।

2. उद्देश्य

निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सिंचाई विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि तैयार की गयी है–

- आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में विभाग की पूर्व तैयारी को सशक्त करते हुए आपदा के समय त्वरित कार्य की रणनीति तैयार करना।

- विभाग के अन्दर राज्य से लेकर फील्ड स्तर तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अपने कार्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति स्पष्टता होना।

3. पूर्व तैयारी क्रिय

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी–

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- सचिव आपदा प्रबन्धन के निर्देशानुसार राज्य से जनपद स्तर तक बाढ़, भूस्खलन व त्वरित बाढ़ के लिए आई0आर0एस0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे – नियोजन, लाजिस्टिक एवं आपरेशन विंग में सक्षम अधिकारियों को नामित व अन्य कार्मिकों को चिन्हित कर उसकी सूचना राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। राज्य स्तर पर मुख्य अभियन्ता व जनपद स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता नोडल अधिकारी होंगे।

- राज्य आपदा नोडल अधिकारी के निर्देशन में मई माह तक सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच व्हाट्स–अप ग्रुप तैयार कर लिया जायेगा ताकि आपदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचनाएं आसानी से कम समय के अन्दर सभी लोगों तक पहुंचायी जा सकें।

- सभी सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम, पते व सम्पर्क नं0 की सूची प्रत्येक जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय एवं पंचायतों में चस्पा की जायेगी ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे और आपातकाल की स्थिति में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

- नदियों एवं बैराज से प्रतिदिन का आंकड़ा लेने हेतु बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित होगा। इस बाढ़ नियन्त्रण कक्ष का इन्चार्ज सहायक अभियन्ता होंगे, जो प्रतिदिन नदियों के बहाव, जल स्तर आदि से सम्बन्धित सूचनाओं की रिपोर्टिंग अपने विभाग के

मुखिया तथा जिला प्रशासन को करते हैं। यह चौकी 15 जून से 15 अक्टूबर तक सक्रिय रहता है।

- बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के इन्चार्ज से सम्बन्धित समस्त जानकारी व उनका सम्पर्क नं0 सम्बन्धित जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय व विकासखण्ड मुख्यालय में होनी आवश्यक होगी।

3.2 जोखिम आकलन/निरीक्षण

- राज्य में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों व जनपदों के अन्तर्गत सर्वाधिक संवेदनशील विकासखण्डों/क्षेत्रों की पहचान मार्च–अप्रैल माह तक कर ली जायेगी। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर राज्य आपदा नोडल अधिकारी, (मुख्य अभियन्ता) तथा जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

- माह मार्च–अप्रैल तक जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग कमजोर तटबन्धों, मुख्य रूप से मिट्टी से निर्मित जलाशयों जैसे – हरिद्वार, कोट, बेगुल आदि तथा निर्मित बैराजों के कमजोर गेटों आदि का निरीक्षण कर उसकी पहचान करेंगे तथा उसकी सूचना जिलाधिकारी को सौंप देंगे ताकि मानसून सत्र (15 जून से पहले) से उन कमजोर स्थलों की मरम्मत हेतु धनावंटन कार्य किया जा सके।

- पूरे मानसून सत्र (15 जून से 15 सितम्बर तक) के दौरान अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में सहायक अभियन्ता व जूनियर अभियन्ता तटबन्धों की निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग के सहयोग से विभाग स्तर पर राज्य आपदा नोडल अधिकारी मई माह तक सेण्ट्रल वाटर कमीशन, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र व मौसम विभाग तथा अन्य विभागों/संस्थाओं की मदद से ऐसे क्षेत्रों में नदियों के बहाव/व्यवहार की सतत् जानकारी रखी जायेगी तथा विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं संकलित कराकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करते हुए ऐसे क्षत्रों को त्वरित बाढ़ आने से पूर्व ही खाली कराकर जन–धन की सुरक्षा के समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायें ताकि बचाव कार्य में अनावश्यक बिलम्ब न हो।

- प्रत्येक नदियों, नालों के अधिकतम बाढ़ आने की संभावना तक वाले स्थान को चिन्हित किया जायेगा ताकि उस स्तर की सूचना पूर्व में लोगों के बीच प्रसारित कर दी जाये। इसके साथ ही बाढ़ की अवधि में अतिरिक्त पानी छोड़ने पर नदी में पानी के अधिकतम स्तर को चिन्हित कर इसकी सूचना भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रसारित कर दी जायेगी।

- विभाग के राज्य आपदा नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार कनिष्ठ अभियन्ता मई माह तक एक दो मानसून पहले बनी सड़कों के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर उसकी सूचना अपने डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता को सौंप देंगे।

- राज्य व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशानुसार विभागीय नोडल अधिकारी के सहयोग से सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता मई माह तक एक दो मानूसन पहले बनी राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के संवेदनशील स्थलों की पहचान करेंगे और उसका रोडमैप तैयार करेंगे। इसी के साथ आपदा प्रभावित स्थलों तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्गों की पहचान कर उसका भी रोडमैप तैयार करेंगे और सभी प्रपत्र विभाग के राज्य मुख्यालय तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर देगें।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- आपदा की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल से जून तक के बीच में अधिशासी अभियन्ता पूरे जोन को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर सहायक अभियन्ता/जूनियर अभियन्ता की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।

- मई माह के अन्त तक सभी अधिशासी अभियन्ता अपने सहायक व जूनियर अभियन्ताओं को यह निर्देशित करेंगे कि वे बन्धों पर स्थान–स्थान पर रेत भरे कट्टों का प्रबन्धन करना सुनिश्चित करें ताकि कटाव होने की स्थिति इनका उपयोग किया जा सके।

- मुख्य महा अभियन्ता के निर्देश पर मई माह तक सभी जनपदों के अधिशासी अभियन्ता क्षेत्रवार सहायक/जूनियर अभियन्ता के सहयोग से विभाग में पंजीकृत व चिन्हित ठेकेदारों, अन्य वाहन मालिकों तथा उनके व विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों जैसे वाहनों व मशीनों की सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय को प्रेषित कर देंगे।

- 15 जून से पहले अधिशासी अभियन्ता स्तर से सर्कुलर जारी कर दिया जायेगा कि विशेष रूप से मानसून अवधि में सभी सहायक अभियन्ताओं की मुख्यालय पर उपस्थिति अनिवार्य है।

3.4 संसाधनों का रख-रखाव

- राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता 15 जून से पहले संभावित आपदा एवं उससे होने वाले नुकसान का आकलन कर उसकी मरम्मत हेतु टेण्डर निकाल कर उसके आधार पर संस्तुत ठेकेदार से उपकरण व मानव संसाधन किराये पर लेकर रख लेंगे।

- 15 जून से पहले अधिशासी अभियन्ता अपने अधीन मशीनों, वाहनों, डीजल हेतु पेट्रोल पम्पों तथा मानव संसाधनों को सेक्टर के आधार पर विभाजित कर उसकी सूचना व सूची राज्य मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

- टिहरी क्षेत्र में निर्मित बैराजों/तटबन्धों की निगरानी हेतु उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में उत्तराखण्ड विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्मित मानक प्रचालन कार्यविधि में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

- राज्य स्तर से मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदाओं से निपटने हेतु विभागीय कर्मचारियों हेतु अप्रैल–मई माह में विभाग स्तर पर आपदा से बचाव हेतु क्षमता अभिवर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

- आपदा प्रबन्धन कार्यालय द्वारा आपदा से बचाव हेतु समय–समय पर राज्य एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पूर्वाभ्यासों में विभाग अपने अधिकारियों को नामित करेगा व सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के नेतृत्व में अप्रैल–मई माह में समुदाय के बीच इस आशय का जागरूकता अभियान चलाया जायेगा कि वे समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से नदियों की स्थिति को जानते रहें और आपदा संभावित अवधि में नदियों से दूर रहें।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

सिंचाई विभाग मुख्यतः नदियों, जलाशयों, राज्य

शासन से नोटिफाईड नालों एवं बैराजों से सम्बन्धित कार्यों को देखता है और सामान्यतः विभाग के बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित रहते हैं। सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में ये बाढ़ नियन्त्रण कक्ष 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक विशेश रूप से सक्रिय रहेंगे। बाढ़ नियन्त्रण कक्ष का संचार तन्त्र जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष से जुड़ा होगा। विशेष रूप से नदियों के जलस्तर एवं उसमें उतार–चढ़ाव से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र कर बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से प्रतिदिन अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से राज्य विभाग मुख्यालय तक भेजी जायेंगी। इसके साथ ही बैराजों एवं जलाशयों की स्थिति पर भी बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से निगरानी की जायेगी और किसी भी तरह की आपदा की संभावना की सूचना तुरन्त कक्ष का इंचार्ज (सहायक अभियन्ता) अपने अधिशासी अभियन्ता को देगा। विभाग के राज्य कार्यालय का आपदा नोडल अधिकारी सूचनाओं को एकत्र कर विभागाध्यक्ष को सौंपेगा। साथ ही राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को भी स्थिति की गंभीरता से अवगत करायेगा। विभाग को आपदा की संभावना की सूचना भारतीय मौसम विभाग व केन्द्रीय जल आयोग से भी प्राप्त होती रहेगी। केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचनाओं को विभाग राज्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से साझा करेगा।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

बाढ़ चौकियों/बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नदियों, बैराजों तथा जलाशयों की निगरानी सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य है। सामान्यतः विभाग के राज्य मुख्यालय विशेषकर 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए सभी जनपदों में स्थित विभाग के सभी कार्यालयों हेतु दिशा–निर्देश जारी करते हैं और उसी दिशा निर्देश के आधार पर विभाग के सभी कार्मिक अपनी–अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं

5.1 चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

विभाग को आपदा घटित होने की पूर्व चेतावनी मिलने के तत्काल बाद आपदा घटित होने अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सहायक/जूनियर अभियन्ता अपने अधीन गैंगमैन के साथ अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार सक्रिय हो जाते हैं। आगे के दिशा–निर्देश के लिए अपने अधिशासी अभियन्ता के ऊपर निर्भर करते हैं।

5.2 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

सिंचाई विभाग प्रत्यक्ष तौर पर मौसम विभाग के सम्पर्क में रहता है और मौसम विभाग द्वारा 48–72 घण्टे पहले आपदा की चेतावनी मिलने की स्थिति में विभाग के राज्य मुख्यालय द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सूचित करता है और तद्नुसार अपने अधीनस्थ जनपद एवं डिवीजन स्तर के कार्यालयों को सूचित कर आपदा से निपटने हेतु सक्रिय रहने तथा कार्य करने हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिया जाता है।

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

6.1 प्रथम चरण

- बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नदी के खतरे के निशान से उपर बहने की स्थिति में राज्य मुख्यालय द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया जायेगा और अधिशासी अभियन्ता स्तर से सम्बन्धित क्षेत्र के मेठ, जूनियर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की गश्त बढ़ा दी जायेगी। रात में भी निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- नदी का पानी खतरे के निशान से उपर होने की स्थिति में जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर समुदाय को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने हेतु चेतावनी जारी कर दिया जायेगा।

- आपदा आने की स्थिति में जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता गैंगमैनों व लोकल तकनीकी–गैर तकनीकी स्टाफ तथा निकट स्थित मशीन चालकों को सूचित कर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचने का आदेश देंगे।

6.2 द्वितीय चरण

- भूस्खलन, त्वरित बाढ़ की स्थिति में सड़क पर पड़े मलबों को हटाने व यातायात व्यवस्था को सुचारू किये जाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र का अधिशासी अभियन्ता जिला प्रशासन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को सूचित करेगा।
- आपदा बड़ी होने की स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देश पर अधिशासी अभियन्ता अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी मशीनों को भेजकर काम करना सुनिश्चित करेगा।
- आपदा के दौरान विभाग के अन्तर्गत संचालित बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के इंचार्ज के तौर पर सहायक अभियन्ता नदियों एवं उसके बहाव की जानकारी अधिशासी अभियन्ता को देगा। अधिशासी अभियन्ता तत्काल प्राप्त सभी सूचनाओं को विभाग के राज्य मुख्यालय तथा जिला आपदा प्रबन्ध विभाग को अन्तर्गत स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध कराते रहेंगे।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी –

7.1 प्रशासनिक कार्य

- आपदा के तुरन्त बाद सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर प्राकृतिक जल बहाव जैसे– नौला, गधेरा आदि के रास्तों को अवरूद्ध करने वाले मलबों की सफाई सुनिश्चित की जायेगी।
- अक्टूबर माह के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिशासी अभियन्ता क्षतिग्रस्त बन्धों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करेगा।
- विभाग के राज्य मुख्यालय से प्राप्त धनावंटन के आधार पर अधिशासी अभियन्ता नदियों एवं बाढ़ प्रतिरोधी ढांचों की मरम्मत सुनिश्चित करेगा।
- राज्य मुख्यालय के आदेश पर अधिशासी अभियन्ता क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा योजना के तहत् बाढ़ प्रतिरोधी दीवार बनायी जाये।

7.2 सम्पादित प्रचालन पर विचार-विमर्श

- क्षति का आकलन कर उसकी रिपोर्ट तैयार करना।
- तैयार रिपोर्ट को शासन को भेजकर क्षति पूर्ति हेतु बजट की मांग करना।
- क्षतिपूर्ति हेतु आयी मांग की जांच के उपरान्त वरीयता के आधार पर संस्तुति करना।

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

आपदा पूर्व तैयारी

यह प्रपत्र नोडल अधिकारी द्वारा भरकर जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र और विभागाध्यक्ष (राज्य स्तर पर) को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण निम्न एजेन्सियों/संस्थाओं से संचार व्यवस्था स्थापित की गई है– • राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र • राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र • जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • विभागीय कार्यालय (डिवीजन के अन्दर) • जिला प्रशासन		
विभाग के अन्दर डिवीजन स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।		
विभाग के अन्दर डिवीजन स्तर पर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन किया गया है।		
डिवीजन स्तर पर सभी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की नाम, पता व सम्पर्क नम्बर सहित सूची तैयार कर ली गयी है।		
जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा तैयार व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हैं।		
बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के इन्चार्ज के नाम, पता व सम्पर्क नं0 से जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत करा दिया गया है।		
जल निकायों में जल का स्तर कम होने पर सूखा आपदा से निपटने हेतु दूसरे जनपदों समन्वय स्थापित किया गया है।		
जोखिम आकलन संवेदनशील जनपदों व विकासखण्डों की पहचान कर ली गयी है।		
जिले के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमजोर तटबन्धों, मिट्टी से बने जलाशयों, बैराज के कमजोर गेटों का निरीक्षण व पहचान कर ली गयी है।		
तटबन्ध निगरानी करने हेतु सहायक अभियन्ता/कनिश्ठ अभियन्ता की सूची तैयार कर ली गयी है।		

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
कमजोर वर्गों को बाढ़ के दौरान विस्थापित करने हेतु सूची तैयार कर ली गयी है।		
संसाधन मानचित्रण पम्प, जनरेटर्स, मोटर उपकरणों, स्टेशन भवनों का निरीक्षण व मरम्मत सुनिश्चित कर लिया गया है।		
जल स्तर गेज की स्थापना सभी छोटे/बड़े टैंक संरचनाओं पर कार्य किया गया है।		
जोन को सेक्टर में बांटकर कार्मिकों के बीच ड्यूटी का विभाजन कर दिया गया है।		
बन्धों पर स्थान–स्थान पर रेत भरे कट्टों का प्रबन्धन कर लिया गया है।		
विभाग में पंजीकृत व चिन्हित ठेकेदारों की सूची तैयार कर ली गयी है।		
पुल, कलवर्टस, ओवरफ्लो चैनल, कण्ट्रोल गेट आदि के मरम्मत का प्रावधान कर दिया गया है।		
क्षमतावर्धन व माकड्रिल आपदा से निपटने हेतु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण किया गया है।		
आपदा के सन्दर्भ में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आयोजित पूर्वाभ्यासों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता की गयी है।		
विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया की गयी है।		
आपदा की स्थिति में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की गयी है।		

आपदा के दौरान

यह प्रपत्र विभागाध्यक्ष द्वारा भरकर जिला आपदा प्रबन्धन / जिलाधिकारी महोदय कोसौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
विभाग के अन्दर स्थापित बाढ़ नियन्त्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है।		
ज्लस्रोतों के इनलेट व आउटलेटों का निरीक्षण कर उसे सही हालत में रखा गया है।		
आपदा स्थल पर आपातकालीन उपकरण किट का उपयोग हो रहा है।		
हाई अलर्ट के दौरान सहायक अभियन्ता की गश्त बढ़ा दी गयी है।		
सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ निगरानी तंत्र सक्रिय है।		
नदी का पानी खतरे के निशान से उपर होने की स्थिति में सूचना का आदान–प्रदान होने का प्रावधान है।		
सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मियों को तुरन्त आपदा स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है।		
नदियों का जल स्तर व उसके बहाव की जानकारी प्रशासन को दी जा रही है।		

नोट

नोट

नोट